# न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

## मुकदमा नम्बर 175/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

### उनवान : **राज्य सरकार** बनाम **गोपीराम**

## निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **दुसारणा पण्डरीकजी** अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल **गोपीराम** पुत्र **प्रभूराम** जाति **तर्ड** निवासी **दुसारणा पण्डरीकजी** द्वारा ग्राम **दुसारणा पण्डरीकजी** के आराजी खसरा नम्बर **89** तादादी **2.87 है.** किस्म भूमि **गै.मु.श्मशान** भूमि में से **202 वर्गमीटर** भूमि पर सम्वत् **2075** में नाजायज **पक्का मकान बनाकर** अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा हमने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, हमारा जो मकान बना हुआ हैं वह आबादी भूमि का हैं और उक्त बाडा बहुत वर्षो पहले का हमारे पूर्वजो के समय का हैं जिस पर हमारा मकान बना हुआ हैं

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर **पक्का मकान बनाकर** अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल **गोपीराम** का उक्त खसरा नम्बर **89** तादादी **2.87 है. गै.मु.श्मशान** भूमि में से **202 वर्गमीटर** भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल **गोपीराम** अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल **गोपीराम पुत्र प्रभूराम** जाति **तर्ड** निवासी **दुसारणा पण्डरीकजी** द्वारा ग्राम **दुसारणा पण्डरीकजी** के आराजी ख.नं. **89** तादादी **2.87 है. गै.मु. श्मशान** भूमि में से **202 वर्गमीटर** भूमि का सम्वत् **2075** का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान **0.02 रूपये** का 50 गुणा से **1.00** रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **05.03.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज